



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2011/आषाढ 16, 1933

No. 371]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2011/ASADHA 16, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 514(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उप-धारा (1) खंड (क) एवं (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा कम्पनी (केन्द्र सरकार के) सामान्य नियम एवं प्रपत्र, 1956 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :-

1. संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तिथि

(1) कम्पनी (केन्द्र सरकार के) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन), 2011 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. वर्तमान नियम 10ग को निम्नलिखित नियम 10ग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[नियम 10ग (1) धारा 314 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उद्देश्य हेतु कुल मासिक पारिश्रमिक पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा।

(2) धारा 314 की उप-धारा (1ख) के उद्देश्य हेतु कुल मासिक पारिश्रमिक दो लाख पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा।]

[फा. सं. 17/174/2011-सीएल-V]

जे. एन. टिक्कु, संयुक्त निदेशक

पाद टिप्पण :- प्रधान अधिसूचना सं. सा.का.नि. 432, दिनांक 18 जनवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित की गई थी एवं उसमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 408(अ), दिनांक 26 मई, 2011 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2011

G.S.R. 514(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and all other powers hereunto enabling the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 namely :-

1. Short title and commencement

(1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

2. The existing Rule 10C shall be substituted by the following Rule 10C:

[Rule 10C. (1) The total monthly remuneration for the purpose of clause (b) of sub-section (1) of Section 314, shall not be less than rupees fifty thousand.

(2) The total monthly remuneration, for the purpose of sub-section (1B) of Section 314, shall not be less than rupees two lakhs and fifty thousand.]

[F.No. 17/174/2011-CL.V]

J. N. TIKKU, Jt. Director

Foot Note :- The Principal notification was published vide number G.S.R. 432, dated the 18th January, 1956 and last amended vide G.S.R. 408(E), dated the 26th May, 2011.